

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

औद्योगिक संबंध संहिता विभिन्न श्रम संहिताओं में से एक है। ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926; औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रासंगिक प्रावधानों को इस नई संहिता में संशोधित, तर्कसंगत और सरलीकृत किया गया है। हाल में अधिनियमित अन्य तीन श्रम संहिताओं की ही भाँति इस संहिता का उद्देश्य भी श्रम कानूनों के प्रवर्तन में गति, पारदर्शिता और साथ ही साथ जवाबदेही लाना और नियोक्ता-कर्मचारी के बेहतर संबंधों को बढ़ावा देना है।

इस संहिता ने अनेक श्रमिक - अनुकूल पहलें की हैं। यह औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए अन्य बातों के अलावा सेवा और काम की दशाओं व शर्तों नामतः श्रमिकों का वर्गीकरण; काम के घंटे, अवकाश, तनख्वाह का दिन, मजदूरी दरों के बारे में जानकारी प्रकाशित करना; श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण मशीनरी उपलब्ध करना; नियुक्ति के समय श्रमिकों को नियुक्ति पत्र जारी करना आदि से संबंधित मामलों पर स्थायी आदेश तैयार करने को अनिवार्य बनाता है। यह संहिता नियोक्ताओं को श्रमिकों को ट्रेड यूनियन बनाने से रोकने और नियोक्ता प्रायोजित व्यापार संघों की स्थापना करने से भी प्रतिबंधित करती है। इस संहिता के तहत 'श्रमिक' की परिभाषा को उन लोगों को शामिल करते हुए संशोधित किया गया है, जो रु.15,000/- प्रतिमाह या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि के बराबर वेतन पाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि इस प्रावधान से बड़ी संख्या में कार्यबल सामाजिक संवाद प्रक्रिया से लाभान्वित होंगे।

औद्योगिक विवादों को हल करने के लिए संहिता में एक सरल और प्रभावी मशीनरी का प्रावधान है। केंद्र या राज्य सरकारें औद्योगिक विवादों में मध्यस्थता करने और विवादों के समाधान को बढ़ावा देने के लिए 'सुलह अधिकारी' नियुक्त कर सकती हैं। यदि सुलह के दौरान कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो विवाद का कोई भी पक्ष औद्योगिक न्यायाधिकरण को एक आवेदन कर सकता है। मौजूदा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत कोर्ट ऑफ़ इन्क्वायरी, सुलह बोर्ड और श्रम न्यायालय जैसे अनेक निर्णयन निकायों के स्थान पर सुलह अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील पर निर्णय लेने के लिए एक निर्णयन निकाय के रूप में औद्योगिक न्यायाधिकरण की परिकल्पना की गई है। प्रशासनिक क्षेत्र से दूसरे सदस्य के साथ एक 'दो-सदस्यीय औद्योगिक न्यायाधिकरण', केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों में बढ़ते मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का प्रावधान करने में मदद करेगा।

नियमित कर्मचारियों, जो समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य कर रहे हैं, के बराबर सामाजिक सुरक्षा, मजदूरी, यथानुपात ग्रेच्युटी आदि जैसे सभी वैधानिक लाभों के साथ 'नियत कालिक रोजगार' (एक निश्चित अवधि के लिए रोजगार के लिखित अनुबंध के आधार पर किसी कर्मचारी की नियुक्ति) की शुरुआत से देश में कार्यबल के बीच साम्य को बनाए रखने और समावेशिता को बढ़ावा देने की उम्मीद है। इसके अलावा, एक नियत कालिक रोजगार के कार्यकाल के पूरा होने के परिणामस्वरूप एक श्रमिक की सेवा को समाप्त करना छंटनी के रूप में नहीं माना जाएगा। नियत कालिक रोजगार की शुरुआत उद्यमों को मौसम के अनुसार संचालन और निरंतर गतिशील बाजार मांग के अनुसार अपने कार्यबल की आवश्यकताओं की सटीक योजना बनाने के लिए कार्यात्मक लचीलापन भी प्रदान करेगी।

इस संहिता की एक विशिष्ट विशेषता एक प्रतिष्ठान में एक 'वार्ता यूनियन' या एक 'वार्ता परिषद' का प्रावधान है, जिसमें ऐसी किसी ट्रेड यूनियन को एकमात्र 'वार्ता यूनियन' के रूप में मान्यता दी जाएगी यदि उस प्रतिष्ठान के मस्टर रोल (हाजिरी रजिस्टर) पर 51% या अधिक श्रमिकों का उस ट्रेड यूनियन को समर्थन हो। यदि किसी भी एक ट्रेड यूनियन के पास 51% या अधिक श्रमिकों का समर्थन नहीं है, तो नियोक्ता के साथ बातचीत के लिए ऐसे सभी ट्रेड

यूनियनों, जिनमें से प्रत्येक को मस्टर रोल पर कुल श्रमिकों के कम से कम 20% का समर्थन हो और प्रत्येक 20% के लिए एक प्रतिनिधि रखते हुए एक 'वार्ता परिषद' का गठन किया जाएगा। इसके अलावा, उन मामलों जिन पर बातचीत होगी, सदस्यता के सत्यापन का तरीका और उन सुविधाओं, जो प्रतिष्ठान द्वारा वार्ता यूनियन / परिषद को प्रतिष्ठान स्तर पर प्रदान की जाएंगी को नियमों के माध्यम से निर्धारित करने के लिए एक सक्षम क्लॉज भी जोड़ा गया है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत छंटनी, बंद करने (क्लोजर) और हटाने (ले ऑफ) के मामलों में प्रतिष्ठानों द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए श्रमिकों की न्यूनतम वर्तमान सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिक कर दिया गया है। यह उद्यमों को कार्यबल की संख्या के संदर्भ में अपना आकार और संचालन को बढ़ाने में मदद करेगा। इससे श्रमिकों को भी मदद मिलेगी क्योंकि विभिन्न नियामक कारणों से उनकी संख्या अब प्रतिष्ठानों में कम नहीं आंकी जाएगी। भारतीय उत्पादों और सेवाओं को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में परिचालन बढ़ाने के महत्व को पहले के बजट-पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा भी चिह्नित किया गया है। प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की ऊपरी सीमा में वृद्धि (100 से बढ़ाकर 300) के साथ बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ संभावनाओं की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने से उद्यमों के अधिक उत्पादक बनने की संभावनाएं हैं, इस प्रकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त होता है।

संहिता में छंटनी किए गए श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए छंटनी की तारीख से 45 दिनों के भीतर 15 दिनों के वेतन के भुगतान के साथ उद्यमों में एक-री-स्किलिंग फंड 'का प्रावधान भी है। यह मजदूरों को संकट सहायता के रूप में काम करने के अलावा बाजार की माँग के अनुसार उन्हें खुद को फिर से कुशल बनाने और उनके कौशल उन्नयन में मदद करेगा।

संघों से कर्मचारों के अधिकारों के संरक्षण, नियोजकों एवं कर्मचारों के मध्य संघर्ष को न्यूनतम करने, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा निपटान के लिये उपबंध इस संहिता के अंतर्गत दिये गए हैं। इस संहिता की मुख्य विशेषताएँ निम्नवत हैं-

- कर्मचारों को नये सिरे से परिभाषित करना जिसके अंतर्गत रु.18000/- प्रतिमाह या ऐसी रकम जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, तक मजदूरी करने वाले पर्यवेक्षण क्षमता के व्यक्ति भी शामिल हैं।
- नियत अवधि नियोजन का प्रावधान करना कि कर्मचारी नियत अवधि की समाप्ति के बाद नोटिस अवधि छंटनी प्रतिकर के सिवाय ग्रेच्युटी व स्थायी कर्मकार के समान सभी हितलाभ प्राप्त कर सकेगा। नियोजक को अपेक्षा के आधार पर नियत अवधि आधार पर नियोजित करने की नमनीयता प्रदान की गई है।
- ऐसे स्थापन में जहाँ 20 या 20 से अधिक कर्मकार नियोजित हैं, शिकायत निवारण समिति गठित किये जाने का प्रावधान किया गया है।
- वार्ता के प्रयोजन के लिये नियोजक द्वारा किसी औद्योगिक स्थापन में वार्ताकारी संघ तथा वार्ताकारी परिषद का प्रावधान किया गया है।
- ट्रिब्यूनल के समक्ष ट्रेड यूनियन के अरजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के रद्द किये जाने के विरुद्ध अपील के लिये उपबंध करना।

- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को केन्द्रीय ट्रेड यूनियन या राज्य ट्रेड यूनियन के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिये सशक्त करना।
- स्थायी आदेशों के प्रमाणीकरण के लिये औद्योगिक स्थापन में 300 या अधिक कर्मकारों की सीमा उपबंधित करना।
- यह उपबंधित करना कि यदि कोई नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किये गए मॉडल स्थायी आदेश को अंगीकृत करता है तब मॉडल स्थायी आदेश प्रमाणित समझे जायेंगे अन्यथा केवल उन खंडों का जो मॉडल स्थायी आदेश से भिन्न हैं, प्रमाणीकरण कराएगा।
- एकल न्यायिक सदस्यीय कोर्ट/ट्रिब्यूनल के स्थान पर न्यायिक सदस्य एवं प्रशासनिक सदस्य मिलाकर बने औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना करना।
- विद्यमान बहुल न्याय निर्णयन निकायों के स्थान पर औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना करना।
- सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में 14 दिन की सूचना दिये बिना हड़ताल और तालाबंदी पर रोक लगाना।
- छूटनी किये गये कर्मकारों के प्रशिक्षण के लिये, पुनः कौशल के लिये निधि की स्थापना करना।
- अपराधों का शमन करने हेतु उपबंध करना।
- समुचित सरकार द्वारा किसी स्थापन को निर्दिष्ट अवधि के लिये लोकहित में संहिता के उपबंधों से छूट प्रदान करने का उपबंध।

परिभाषाएँ: कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ निम्नवत् हैं :-

1. नियंत्रित उद्योग:- ऐसा उद्योग, संघ द्वारा जिसका नियंत्रण लोकहित में केन्द्रीय अधिनियम द्वारा होना घोषित हो।
2. औद्योगिक विवाद:- नियोजक तथा नियोजकों के बीच या नियोजकों और कर्मकारों के बीच या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच कोई विवाद या मतभेद, जो नियोजन या गैर नियोजन या नियोजन के निबन्धनों या किसी व्यक्ति की श्रम की शर्तों से संबंधित हैं। कर्मकारों की सेवामुक्ति, पदच्युति, छूटनी या पर्यवासन से उत्पन्न कोई विवाद औद्योगिक विवाद है।

द्विपक्षीय मंच

कार्य समिति

उन स्थापनों में जहाँ एक सौ या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं, समुचित सरकार कार्य समिति गठन करने का प्रावधान करेगी।

शिकायत निवारण समिति

जहाँ 20 या 20 से अधिक कर्मकार नियोजित हैं, कर्मकारों की शिकायत से उत्पन्न विवादों के समाधान के लिये एक या एक से अधिक शिकायत निवारण समिति गठित की जाएगी।

ट्रेड यूनियन

- राज्य सरकार द्वारा ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी।
- ट्रेड यूनियन की कार्यपालिका का गठन संहिता के अनुसरण में होने पर ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रीकरण की हकदार होगी। पंजीकृत व्यवसाय संघ, नाम में परिवर्तन के लिये रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकता है और संतुष्ट होने की दशा में रजिस्ट्रार नाम में संशोधन कर सकता है। संहिता की धारा-9 के अंतर्गत ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रीकरण की शक्तियाँ रजिस्ट्रार में निहित होगी।
- रजिस्ट्रीकरण न किये जाने की दशा में ट्रेड यूनियन अधिकरण के समक्ष अपील कर सकेगी। संहिता की धारा-14 के अंतर्गत औद्योगिक स्थापन में नियोजक से वार्ता करने की लिये वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद की मान्यता दिये जाने के प्रावधान हैं।
- कोई व्यक्ति ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी चुने जाने योग्य नहीं होगा यदि उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, अथवा भारत के किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध और कारावास से दंडित किया गया हो, जब तक उसको छोड़े जाने के पाँच वर्ष बीत न गए हों।
- इस संहिता के अंतर्गत दो या दो से अधिक ट्रेड यूनियनों का सम्मेलन किये जाने की व्यवस्था (धारा-21) का प्रावधान है। ट्रेड यूनियन के 7 सदस्यों एवं सचिव के प्रार्थना पत्र के आधार पर रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन को विघटित कर सकेगा।
- केन्द्रीय और राज्य स्तर पर ट्रेड यूनियनों को मान्यता के प्रावधान संहिता के अंतर्गत (धारा-27) प्रावधानित है।

स्थायी आदेश

ऐसे औद्योगिक स्थापन, जिनमें 300 या इससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं, में स्थायी आदेश के प्रावधान लागू होंगे। केन्द्रीय सरकार द्वारा मॉडल स्थायी आदेश बनाए जाएंगे। यदि नियोजक द्वारा मॉडल स्थायी आदेशों को अंगीकृत किया जाता है तो धारा-30 के उपबंधों के अधीन उन्हें प्रमाणित समझा जाएगा। नियोजक मॉडल स्थायी आदेशों के आधार पर स्थायी आदेश का प्रारूप तैयार करेगा और प्रमाणीकरण हेतु इलैक्ट्रॉनिकी रूप से या अन्यथा प्रमाणन अधिकारी को भेजेगा और प्रमाणीकर्ता अधिकारी विधि संगत पाने पर प्रमाणित करेगा।

अपील

यदि कोई नियोजक ट्रेड यूनियन या वार्ताकारी परिषद प्रमाणकर्ता अधिकारी के आदेश से सहमत नहीं है तो वह समुचित सरकार द्वारा नियुक्ति अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा।

औद्योगिक विवादों के समाधान के लिये तंत्र

- समुचित सरकार औद्योगिक विवादों के निपटान का संवर्धन करने के लिये सुलह अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी। (धारा-43)

- समुचित सरकार औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णयन हेतु औद्योगिक अधिकरणों का गठन कर सकेगी जिसमें न्यायिक सदस्य एवं प्रशासनिक सदस्य होंगे। वादों के निपटारे हेतु न्यायिक सदस्य एवं प्रशासनिक सदस्य से मिलकर अथवा केवल प्रशासनिक सदस्य अथवा केवल न्यायिक सदस्य से मिलकर न्यायपीठ बनेंगी।
- राष्ट्रीय महत्व के विवादों के न्याय निर्णयन हेतु राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी।
- जिन कर्मकारों की छुटनी (ले-ऑफ) की गई है, उनको प्रतिकर देय होगा। छुटनी किये गए कर्मकारों को पुनः नियोजन में वरीयता दी जाएगी।

कर्मकार पुनः कौशल निधि

समुचित सरकार द्वारा पुनः कौशल निधि की स्थापना की जाएगी जिसमें नियोजक द्वारा छुटनी किये गए कर्मकार को प्राप्त हो रहे वेतन का 15 दिन का वेतन जमा किया जाएगा। समुचित सरकार द्वारा निहित किये गए अन्य स्रोतों से प्राप्त अभिदान निधि में जमा किया जाएगा। (धारा-83)

अनुचित श्रम व्यवहार

कोई भी नियोक्ता या श्रमिक या ट्रेड यूनियन, चाहे वह इस संहिता के तहत पंजीकृत हो या नहीं, दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट कोई भी अनुचित श्रम व्यवहार नहीं करेगा।। (धारा-84)

अपराध और शास्तियाँ (दंड)

समुचित सरकार की मंजूरी पर संहिता की धाराओं के उल्लंघन के लिये प्रथम श्रेणी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

अपराधों का शमन

इस संहिता के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध जो कारावास से दंडनीय न हो, समुचित सरकार द्वारा घोषित अधिकारी द्वारा अधिकतम जुर्माने की 50% रकम से शमन किया जा सकेगा। शमन हो जाने की स्थिति में अभियोग नहीं चलाया जाएगा। यदि अभियोग पूर्व में दायर कर दिया गया है तो न्यायालय को उपशमन की सूचना प्रेषित की जाएगी।
